श्रीमती सम्पति देवी विजयवर्गीय राजसेवक सर्वजन हितकारी संस्था

विधान (नियमावली)

क.सं.	मद	प्रावधान
1	**नाम**	संस्था का नाम "श्रीमती सम्पति देवी विजयवर्गीय राजसेवक सर्वजन हितकारी संस्था" होगा ।
2	**संस्थापक सदस्य**	संस्था के संस्थापक सदस्य के रूप में 1–श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय (बसवा निवासी) सेवानिवृत्त आईएएस। 2–श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता (नारायणपुर निवासी) सेवानिवृत्त शासन उप सचिव । उपरोक्त संस्था के संस्थापक सदस्य होंगे। जिन्हें आगे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय दानदाताओं के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
3	**कार्यक्षेत्र**	संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा ।
4	**कार्यालय**	"संस्था" का प्रधान कार्यालय "संगम" विजयवर्गीय सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन, सेक्टर–26 पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर, जयपुर पर होगा । आवश्यकतानुसार इसकी शाखायें भारत वर्ष के किसी भी भाग में संभागीय/जिला स्तर पर खोली जा सकेंगी।
5	**उद्देश्य**	"संस्था" का उद्देश्य विजयवर्गीय समाज के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले जरूरतमंद– 1–विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना । 2–विधवा की पुत्री एवं अनाथ पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। 3–विधवा के बच्चे एवं अनाथ बच्चे जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। 4–विधवा के बच्चों एवं अनाथ बच्चो को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
6	**संस्था की सदस्यताः**	**सदस्यः** 1–रूपये 50 हजार या अधिक राशि का दान/अनुदान देने वाला विजयवर्गीय समाज का व्यक्ति संस्था का सदस्य होगा । 2–संस्था के प्रत्येक सदस्य से उनके उत्तराधिकारी अथवा उनकी ओर से अधिकृत व्यक्ति का नाम प्राप्त किया जाएगा, जो उनका नॉमिनी होगा। किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामित व्यक्ति (नॉमिनी) संस्था का सदस्य होगा। 3–रूपये 50 हजार से कम राशि देने वाले विजयवर्गीय समाज के व्यक्ति संस्था के दानदाता होंगे । इनके द्वारा दी गई दान/अनुदान की राशि बढ़कर रूपये 50 हजार पूर्ण होने की तारीख से वे संस्था के सदस्य माने जायेंगे।
7	**संचालन समिति :**	"संस्था" के विधान क्रमांक 5 में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था का संचालन एक सात सदस्सीय समिति, जिसे संचालन समिति कहा जावेगा, द्वारा किया जावेगा। संचालन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा एवं इसका स्वरूप निम्नानुसार होगा– 1–अध्यक्ष 1 पद 2–उपाध्यक्ष 2 पद 3–महासचिव 1 पद 4–कोषाध्यक्ष 1 पद 5–सदस्य 2 पद क– संचालन समिति का अध्यक्ष विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद (संस्था) का अध्यक्ष होगा । जिसे सस्था की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। परिषद अध्यक्ष द्वारा जब तक सस्था की सदस्यता नहीं ली जाती है, उस स्थिति में संस्था का उपाध्यक्ष प्रथम संस्था के अध्यक्ष का कार्य करेगा । उपाध्यक्ष प्रथम की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष का कार्य करेगा एवं उसे अध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे । ख– संचालन समिति के उपाध्यक्ष के दो पद होंगे जिसमें उपाध्यक्ष प्रथम एवं उपाध्यक्ष द्वितीय क्रमशः प्रथम दानदाता एवं द्वितीय दानदाता अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति उपाध्यक्ष होंगे। ग– संचालन समिति के महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य पद पर निर्वाचन निर्धारित चुनाव प्रकिया से इस संस्था के सभी सदस्यों अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों में से किया जावेगा। घ–उपरोक्त संचालन समिति आवेदकों (विधान के क्रमांक 5 के अनुसार) से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित कर अन्तिम निर्णय हेतु अधिकृत होगी। ड़–संचालन समिति के किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति शेष अवधि के लिये पदाधिकारी रहेगा।

नन्दकिशोर विजय
अध्यक्ष

लल्लूलाल गुप्ता
महामंत्री

हरिराम विजय
कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.10.23 17:27:14 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

8	**संचालन समिति की बैठक व कोरम**	1–संस्था की संचालन समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठक होगी। 2–बैठक में कोरम 3 सदस्यों का रहेगा । 3–आवश्यकतानुसार संस्था की संचालन समिति की कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी। 4–संचालन समिति संस्था की धारा 5 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली राशि व अवधि का निर्धारण कर सकेगी।
9	**निर्वाचन**	1– विधान के क्रमांक 6 (क) के अनुसार अध्यक्ष द्वारा संस्था की सदस्यता लेने के उपरान्त वर्तमान संचालन समिति का 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्ति की दिनांक से अधिकतम 3 माह की अवधि में आवश्यक रूप से नई संचालन समिति हेतु सदस्यों में से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर निर्वाचन करायेगा। 2–यदि वह (अध्यक्ष) ऐसा नहीं करता है तो संस्था के उपाध्यक्ष प्रथम/द्वितीय द्वारा संस्था की आमसभा आयोजित कर संस्था की नई संचालन समिति के पदों हेतु निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने की कार्यवाही करेगा।
10	**संस्था की निधि**	1–संस्था द्वारा विजयवर्गीय समाज के व्यक्तियों से दान/अनुदान प्राप्त कर कोष का निर्माण किया जावेगा। 2–संस्था की निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जावेगी। 3–संस्था को प्राप्त दान/अनुदान की मूल राशि खर्च न की जाकर प्राप्त समस्त राशि की एफडी कराई जाकर उससे प्राप्त ब्याज राशि का उपयोग संस्था की धारा 5 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये खर्च की जावेगी। 4–यदि आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त हो तो कोष में उपलब्ध मूल राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का उपयोग विधान की धारा 5 में उल्लेखित उद्देश्यों के लिये किया जा सकेगा जिसे भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुदान से समायोजित करना होगा।
11	**प्रस्तावों का निपटारा**	संस्था के विधान क्रमांक 5 में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति में आर्थिक सहयोग तथा सहायता प्रदान करने के लिये निम्नांकित प्रणालियों से किसी एक का अनुसरण किया जायेगा– क–विजयवर्गीय (वैश्य) राजसेवक परिषद (सस्था) के पदाधिकारियों की सिफारिश पर। ख–परिषद/समाज की विधानान्तर्गत निर्वाचित इकाईयों के पदाधिकारियों की सिफारिश पर। ग–संस्था संचालन समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सिफारिश पर ।
12	**बैंक खाते का संचालन**	संस्था के बैंक खाते का संचालन/धन का आहरण संचालन समिति के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जावेगा ।
13	**संस्था की आमसभा**	1–संस्था की सर्वोच्च शक्ति आमसभा में निहित होगी। 2–सस्था के विधान में सशोधन करने का अधिकार आमसभा में निहित होगा। 3–संस्था की आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी, जिसमें सस्था के सदस्य भाग लेंगे। 4–बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 रहेगा । 5–स्थगित बैठक में कोरम की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
14	**सदस्यता से वंचित करना**	यदि कोई सदस्य संस्था के नियमों का उल्लंघन करें अथवा उसके कार्यो में बाधा उत्पन्न करें तो **संस्था की आम सभा** में 2/3 बहुमत से उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी परन्तु कानूनी दृष्टि से अपात्रता अर्जन करने की स्थिति में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मान ली जायेगी।

नन्दकिशोर विजय
अध्यक्ष

लल्लूलाल गुप्ता
महामंत्री

हरिराम विजय
कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.10.23 17:27:14 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

15	पदाधिका रियों के कर्तव्य व अधिकार	**अध्यक्ष–** 1–संस्था की आम सभा व संचालन समिति बैठक की अध्यक्षता करेगा। 2–आवश्यकता पडने पर विशेष बैठक आमत्रित करेगा। 3–संस्था के कार्य संचालन एवं कोष वृद्धि हेतु हर संभव प्रयास करेगा। 4– विधान के कमांक 6 (क) के अनुसार अध्यक्ष द्वारा संस्था की सदस्यता लेने के उपरान्त वर्तमान संचालन समिति का 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्ति की दिनांक से अधिकतम 3 माह की अवधि में आवश्यक रूप से नई संचालन समिति हेतु सदस्यों में से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर निर्वाचन करायेगा। **उपाध्यक्ष प्रथम** 1–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करेगा । 2–अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये दायित्व का निर्वहन करेगा । 3–अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नई संचालन समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं करने की स्थिति में संस्था की तत्काल आमसभा आयोजित कर, संचालन समिति के पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने की कार्यवाही करेगा। **उपाध्यक्ष द्वितीय** 1–अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष–प्रथम की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करेगा । **महासचिव–** 1–संस्था का सम्पूर्ण रिकार्ड व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखेगा । 2–अध्यक्ष की आज्ञा से संस्था संचालन समिति एवं संस्था की आम सभा की बैठक आमंत्रित करेगा । 2–संचालन समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करेगा तथा करावेगा। 3–संस्था की ओर से आवश्यक समस्त पत्र व्यवहार करेगा। 4–संस्था के हित में समस्त आवश्यक कार्य संपादित करेगा। 5–संस्था की गतिविधियों एवं प्रगति का विवरण प्रतिवर्ष संस्था की आम सभा के सम्मुख रखेगा। **कोषाध्यक्ष–** 1–संस्था कोष के समस्त हिसाब का विवरण रखेगा तथा प्रतिवर्ष उसका अंकेक्षण करवायेगा। 2–अध्यक्ष, महामंत्री एवं संचालन समिति को हिसाब से समय समय पर अवगत कराता रहेगा । 3–कोष की वृद्वि के लिये प्रयास करेगा । 4–प्रतिवर्ष संस्था की आम सभा के समक्ष संस्था का अंकेक्षित आय–व्यय प्रस्तुत करेगा । **सदस्य–** 1–संस्था संचालन समिति की प्रत्येक बैठक एवं आमसभा में उपस्थित होकर अपना अभिमत रखेगा। 2–ऐसे सदस्य संचालन समिति के निर्धारित पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।
16	संस्था की समाप्ति	किसी कारणवश यदि संस्था का उद्देश्य सफल नहीं हो एवं विधि सम्मत ढंग से इसका संचालन संभव नहीं हो तो संस्था भंग करने की घोषणा संस्था की आमसभा में 2/3 बहुमत से करेगी। संस्था भंग होने की स्थिति में संस्था निधि की शेष राशि संबंधित सदस्यों अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को उनके द्वारा दिये गये दान के अनुपात में लौटा दी जावेगा।

नन्दकिशोर विजय
अध्यक्ष

लल्लूलाल गुप्ता
महामंत्री

हरिराम विजय
कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.10.23 12:27:14 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur